II/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/01587

राजेश ढ़ीमर उम्र 52 वर्ष पिता स्व. काशी ढ़ीमर निवासी ग्राम कोटमा, थाना सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0..निगरानी कर्ता/उत्तरवादी

बनाम

मंगनी बाई उर्फ गोमती ढ़ीमर उम्र 54 वर्ष पति श्री लुहुरू ढ़ीमर पिता स्व. काशी ढ़ीमर, निवासी ग्राम धनपुरा तहसील बुढ़ार जिला–शहडोल (म0प्र0) ....गैर निगराकार/अपीलार्थी

प्रारंभिक तर्क हेतु 9/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आवेदक पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधि. आदेश पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधि.आदेश दिनांक 02.02. 2018 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 पीठासीन अधिकारी माननीय श्रीमान लोकेश सिंह प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2016–17 मंगनी बाई बनाम राजेश ढ़ीमर बगै.।

मान्यवर,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 01 की ओर से विनय है किः–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य निम्न लिखित है–

यह कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 01, गैर निगरानीकर्ता/अपीलार्थी का छोटा भाई तथा उत्तरवादी क्रमांक 02 सियाबाई, निगरानीकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 01 की छोटी बहन है।

यह कि आराजी खसरा नं. 298 रकवा 0.380, खसरा नं. 299 रकवा 0.458, खसरा नं. 393 रकवा 1.348, खसरा नं. 912 रकवा 0.117 कुल 04 किता ग्राम कोटमा तहसील सोहागपुर नं. 01 थाना सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0) की आराजी, प्रार्थी/निगरानी कर्ता/उत्तरवारी क्रमांक01 एवं गैर निगरानीकर्ता/अपीलार्थी व उत्तरवादी क्रमांक 02 सियाबाई के पिता स्वा काशी ढ़ीमर की स्व. अर्जित (क्रय की गई) भूमि है।

यह कि दिनांक 29.11.2006 को गैर निगराकार/अपीलार्थी और निगराकार/उत्तरवादी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा.2018/1587 राजेश विरूद्ध मंगनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

04/02/19

(3)

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

05/2/19

(आर.के. जैन)
सदस्य